## न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
## राजस्व वाद सख्या– 93/2012

1. श्रीमती केसी पत्नि श्री हरजी जाति रावत
2. श्री सोहनसिंह पुत्र श्री मेधसिंह जाति रावत
3. श्री शैतानसिंह पुत्र श्री मेधसिंह जाति रावत
4. श्री भागूसिंह पुत्र श्री मेधसिंह जाति रावत
5. श्री नोरत पुत्र श्री देबी जाति रावत
6. श्री महेन्द्र पुत्र श्री देबी जाति रावत
7. श्रीमति लाली पात्नि श्री देबी जाति रावत
   समस्त निवासियान –राजोरिया का बाडिया, श्यामगढ तहसील मसूदा जिला अजेमर

.....वादीगण

**बनाम**

1. श्रमती शकीना पत्नि श्री जमाल
2. श्री शमशेर पुत्र श्री जमाल
3. श्री सोहन पुत्र श्री जमाल
4. श्रीमती सूरमा पुत्री श्री जमाल
5. श्रीमती जमीला बेवा मोहन
6. हसीना पुत्री श्री मोहन
7. वहीदा नाबालिग पुत्री मोहन
8. अजरूदीन नाबालिग पुत्र मोहन
   प्रतिवादी संख्या 7 व 8 नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती जमीला समस्त जाति मेहरात निवासियान –लाखीना तहसील ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान
9. श्रीमान् उपपंजीयक एवं तहसीलदार महोदय, मसूदा जिला अजमेर राजस्थान

.....प्रतिवादीगण

## राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. श्री सलीम बाबू
   वकील वादीगण
2. श्री पुखराज कलवार
   वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 8 उपस्थित

### निर्णय

वादीगण ने इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि वादीगण के पति व दादा श्री हरजी पुत्र कालू जाति रावत निवासी राजोरिया का बाडिया ने प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पिता, ससूर एवं दादा श्री जमाल पुत्र मेहथा जाति मेहरात निवासी ग्राम लाखीना से दिनांक 20.05.1972 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा आराजी ख0 न0 1023 रक्बा 1–18–10 बीघा खरीद की थी जिसके हाल न0 1023/1 रक्बा 00–15–10 व 1023/2 रक्बा 1–03–00 है तब से क्रेता अपने जीवन काल में इस आराजी पर काबिज काश्त रहे उनकी मृत्यु के बाद से वादीगण काबिज काश्त चले आते है किन्तु वर्तमान में कृर्षि भूमिया की कीमते बढ जाने से प्रतिवादीगण की नितय बद हो गई है और वे इसमे अपना नाम लगवाकर दीगर व्यक्तियों को बेचने पर आमदा है। इसलिए उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाना तथा प्रतिवादी संख्या 9 को प्रतिवादीगण के विवादित भूमि से संबधित दस्तावेज को पंजीयन नही करने हेतु पाबंद किया जाना आवश्यक है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी में वादीगण को

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के अग्रज जमाल के स्थान पर राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम लगाया जावे तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे उपभोग में दखलंदाजी आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर उन्होंने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मध्य राजीनामा हो जाना स्वीकार किया और राजीनामा दिनांक 19.12.2013 एवं 1.10.2014 को दो भागों में पेश किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने यह स्वीकार किया है कि वादीगण के पति व दादा स्व0 हरजी वल्द कालू रावत निवासी राजोरिया के बाडिया ने हमारे दादा व पिता तथा ससुर स्व0 जमाल वल्द मेहथा जाति मेहरात जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 20.05.1972 से खरीद की थी बरोज खरीद दिवस ही विवादित आराजी ख0 न0 1023 रक्बा 1–18–10 बीघा जिसके हाल न0 1023/1 रक्बा 00–15–10 व 1023/2 रक्बा 1–03–00 बीघा का कब्जा बेचान दिवस ही क्रेता श्री हरजी को संभला दिया था तब से वादीगण का ही विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आता है जिसको लेकर कोई विवाद नही है वादीगण का वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री कर दिया जावे तथा प्रतिवादीगण के अग्रज जमाल वल्द मेहथा के स्थान पर राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम लगा दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की पहचान उनके अभिभाषक ने की।

राजीनामें पर विद्वान अभिभाषक उभयपक्षान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1972 जो जमाल वल्द मेहथा जाति मेहरात द्वारा बिल एवज प्रतिफल राशि रु 500/– में मौजा श्यामगढ तहसील ब्यावर स्थित आराजी ख0 न0 1023 रक्बा 1–18–10 बीघा हरजी वल्द कालू कौम रावत को बेचान करना तकसीम किया है। वर्तमान में श्यामगढ से ग्राम नीमगढ पृथक राजस्व ग्राम है तथा पृथक से तहसील मसूदा कायम हो चुकी है। अतः विवादित आराजी वर्तमान में ग्राम नीमगढ भू0अ0नि0 क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता संख्या 176 मे ख0 न0 1023/1 रक्बा 0–15–10 व 1023/2 रक्बा 1–03–00 किस्म बा0 3 से स्व0 जमाल वल्द मेहथा कौम मेहरात के नाम अंकित है जो पक्षकारान के राजीनामे अनुसार सही है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 क्रमशः वहीदा पुत्री मोहन व अजरूदीन पुत्र मोहन नाबालिगान है जो वाद में जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती जमीला पत्नि मोहन प्रतिवादीया संख्या 5 के राजीनामे पर उपस्थित आये है। अतः राजीनामा प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है तथा बमुताबिक राजीनामा वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है और

## ,आदेश

वादीगण को ग्राम नीमगढ भू0अ0नि0 क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 1023/1 रक्बा 0–15–10 व 1023/2 रक्बा 1–03–00 बीघा भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी से स्व0 जमाल वल्द मेहथा जाति मेहरात निवासी लाखीना का नाम अपास्त कर वादीगण के नाम जरिये नामान्तकरण लगाये जाने के आदेश पारित किये जाते है। प्रतिवादीगण को वादीगण के विवादित आराजी में चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलंदाजी आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाता है। खर्च पक्षकारान अपना अपना वहन करे।
निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को सरे इजलास राष्ट्रिय लोक अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.26 14:45:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: